रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 12, 2003/फाल्गुन 21, 1924
No. 28] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 12, 2003/PHALGUNA 21, 1924

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2003

सं. 306-2/2003-इकॉन.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा, स्वयं को प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कि वे टैरिफ जिन पर भारत में और भारत से बाहर, दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाएंगी, उन्हें सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी आर ए आई), एतद्द्वारा दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में संशोधन द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है:—

दूरसंचार टैरिफ (पच्चीसवां संशोधन)
आदेश, 2003
(2003 का क्रमांक 2)

खण्ड I
शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

1. लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

(i) इस आदेश को "दूरसंचार टैरिफ (पच्चीसवां संशोधन) आदेश, 2003" कहा जाएगा।

(ii) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

<u>खण्ड– II</u>

2. **अनुसूची I में संशोधन**

दूरसंचार टैरिफ (चौबीसवां संशोधन) आदेश, 2003 की अनुसूची I में आंशिक संशोधन करते हुए, उपरोक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन/परिवर्तन/प्रतिस्थापन किए जाते हैं :-

अनुसूची I
बुनियादी सेवाएं (आईएसडीएन/ ISDN को छोडकर)

(इन टैरिफों के लागू होने की तारीख 1 अप्रैल 2003 होगी)

मद	टैरिफ
मद (5) के अंत में टिप्पणी (1)	(1) ग्रामीण उपभोक्ताओं में वे होंगे जो, नए बुनियादी सेवा लाइसेंसों में बताए गए के अनुसार ग्रामीण एस डी सी ए में रहते हों। को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है – (1) ग्रामीण उपभोक्ता का तात्पर्य उन लोगों से हैं, जो गांवों में रहते हैं । इस अनुसूची के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की परिभाषा वहीं रहेगी जो भारत की जनगणना में अपनाई जाती है।
मद (6) के अंत में टिप्पणी (1)	(1) शहरी उपभोक्ताओं में वे होंगे जो, नए बुनियादी सेवा लाइसेंसों में बताए गए के अनुसार शहरी और अर्धशहरी एस डी सी ए में रहते हों।

	को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है — (1) शहरी उपभोक्ता का तात्पर्य उन लोगों से हैं, जो शहरों में रहते हैं । इस अनुसूची के लिए शहरी क्षेत्रों की परिभाषा वहीं रहेगी जो भारत की जनगणना में अपनाई जाती है।
व्याख्यात्मक टिप्पणियों की टिप्पणी (a) और (b)	(a) ग्रामीण उपभोक्ताः नए बुनियादी सेवा लाइसेंस में ग्रामीण के रूप में परिभाषित एस डी सी ए में रहने वाले उपभोक्ता (b) शहरी उपभोक्ताः नए बुनियादी सेवा लाइसेंस मे अर्ध– शहरी और शहरी के रूप में परिभाषित एस डी सी ए में रहने वाले उपभोक्ता **को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:-** (a) ग्रामीण उपभोक्ताः वे उपभोक्ता जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं । इस अनुसूची के लिए ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा वही होगी जो कि भारत की जनगणना में अपनाई जाती है । (b) शहरी उपभोक्ताः वे उपभोक्ता जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं । इस अनुसूची के लिए शहरी क्षेत्र की परिभाषा वही होगी जो कि भारत की जनगणना में अपनाई जाती है ।

(मद संख्या 17) अ-व्यस्त (ऑफ पीक) समय के दौरान इंटरनेट के लिए डायल-अप एक्सेस प्रभार (चार्जेज)	E1/R2 लाइनों के जरिए एक्सेस कोड 172 xxx और ISDN PR1 एक्सेस कोड - दोनों का इस्तेमाल करने वाले आईएसपी को ऑफ -पीक समय के लिए घटे हुए डायल अप चार्जेज दिए जाएंगे **को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:-** E1/R2 लाइनों के जरिए एक्सेस कोड 172 xxx और ISDN PR1 एक्सेस कोड - दोनों का इस्तेमाल करने वाले आईएसपी के उपभोक्ताओं को ऑफ -पीक समय के लिए घटे हुए डायल अप चार्जेज दिए जाएंगे । अ-व्यस्त समय (याने आफ पीक समय) सभी दिन शाम के आठ बजे से सुबह आठ बजे तक होगा ।

खण्ड– III

3. **व्याख्यात्मक ज्ञापन**

इस आदेश के टैरिफों में स्पष्टता और पारदर्शिता के निमित्त अनुलग्नक "क" के रूप में, एक व्याख्यात्मक ज्ञापन शामिल है ।

आदेशानुसार
डॉ. हर्षवर्धन सिंह, सचिव एवं प्रधान सलाहकार
[विज्ञापन/III/IV/142/2002/असा.]

अनुलग्नक-क

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. प्राधिकरण ने, 24 जनवरी, 2003 को दूरसंचार टैरिफ (चौबीसवां संशोधन), आदेश 2003 अधिसूचित किया जिसमें अन्य बातों के साथ साथ बुनियादी सेवाओं के टैरिफों से संबंधित अनुसूची I भी है। इस अनुसूची में ग्रामीण उपभोक्ताओं की परिभाषा को भी संशोधित रूप में रखा गया था ताकि वह लाइसेंस की शर्तों और यू एस ओ याने सार्वभौमिक सेवा दायित्व कार्यक्रम की प्रचालनात्मक कसौटी के सुसंगत हो सके। यूएसओ कार्यक्रम के अंतर्गत, उन ग्रामीण एसडीसीए को ग्रामीण टेलीफोनी के निमित्त आर्थिक सहायता दी जाती है। इनकी कुल संख्या 500 से कम है और जो समस्त एस डी सी ए के छठे हिस्से से भी कम है।

2. इस बात के मद्देनजर प्राधिकरण ने दूरसंचार विभाग और सार्वभौमिक सेवा निधि के प्रशासक को परिवर्तन के कारण बताते हुए और इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए लिखा कि परिभाषा में इस परिवर्तन की वजह से, जिन एसडीसीए को ग्रामीण की तरह विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है उनमें रहने वाले ग्रामीण उपभोक्ता कम किराए/कॉल प्रभारों के फायदों से वंचित हो जाएंगे जो कि उनको पिछली परिभाषा में कवर होने पर उपलब्ध होते। इसलिए यह अनुभव किया गया कि उन पैरामीटरों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है जिनके आधार पर एसडीसीए को ग्रामीण की तरह विनिर्दिष्ट किया जाता है और जिसके आधार पर एसडीसीए को ग्रामीण या अन्यथा विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण उभर कर आया कि ऐसा करने पर ग्रामीण उपभोक्ताओं को वे सब विशेष सुविधाएं दी जा सकेंगी जो कि यूएसओ कार्यक्रम और उसके द्वारा वित्त पोषण पर मिलती हैं। तथापि प्राधिकरण ने अपने पत्राचार में यह भी उल्लेख किया कि काफी अधिक संख्या में ग्रामीण उपभोक्ता आधार वाले अधिकांश एसडीसीए जिस आधार पर अधिक व्यापक पैरामीटरों में आ सकें और ऐसे पैरामीटरों का बना पाना संभव न हो तो भले ही वह यूएसओ कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सहायता करने वाली हो, तो भी नई परिभाषा को स्वीकार करना वांछनीय नहीं होगा क्योंकि उससे काफी अधिक संख्या में एसडीसीए ग्रामीण की परिभाषा से बाहर हो जाएंगे और उपभोक्ता संख्या का काफी बडा भाग उससे प्रभावित होगा।

3. प्राधिकरण को सार्वभौमिक सेवा निधि प्रशासक और दूरसंचार विभाग से उत्तर मिल चुके हैं। प्रशासक के विचारानुसार, सार्वभौमिक सेवा निधि से सहायता या

समर्थन का निर्णय करने के उद्देश्य से एसडीसीए की समुचित संकल्पना उपादेय होगी, परन्तु ग्रामीण उपभोक्ताओं की परिभाषा से उत्पन्न निहितार्थों की जांच करना उसके क्षेत्र में नहीं आता । दूरसंचार विभाग के उत्तर में यह उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं का वर्गीकरण भारत की जनगणना के अनुसार किया जाता है और उनसे बुनियादी सेवा के निमित्त वही टैरिफ लिए जाते हैं जो कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए टीआरएआई द्वारा निर्धारित किए गए हैं; प्रारभिंक दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 में ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए जनगणना वाली परिभाषाओं के अनुसार ही ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को विनिर्दिष्ट किया गया है । यह भी कहा गया कि 2001 की जनगणना से और उसके अनुसार काफी ग्रामीण एसडीसीए या तो अर्धशहरी या शहरी वर्गों में आ गए होंगे । दूरसंचार विभाग के विचार से, टी आर ए आई द्वारा कह गए के अनुसार, ग्रामीण उपभोक्ताओं की परिभाषा बदलने का कोई अधिक औचित्य नहीं होगा भले ही उससे यूएसओ कार्यक्रम को विशेष रूप से कार्यान्वित करने में मदद मिले ।

4. प्राधिकरण ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि न तो "यू एस एफ" प्रशासक ओर न ही दूरसंचार विभाग इस स्थिति में प्रतीत होते हैं कि, वर्तमान वर्गीकरण जो कि लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, लाइसेंसधारियों द्वारा "रोल आउट" दायित्वों को पूरा करने की दृष्टि से बनाए गए हैं, उससे आगे ग्रामीण एस डी सी ए की परिभाषा निश्चित करने वाले पैरामीटरों की समीक्षा और उन्हें विनिर्दिष्ट करने की तात्कालिक आवश्यकता है । ग्रामीण उपभोक्ताओं की परिभाषा, इस उद्देश्य से, आगे भी व्याप्त है इस पृष्ठभूमि में, प्राधिकरण का यह मत है कि ग्रामीण/शहरी उपभोक्ताओं की परिभाषा वही बनी रहनी चाहिए जो पहले टीटीओ-1999 में रखी गई है याने जो भारत की जनगणना के लिए अपनाई जाती है ।

5. इस आदेश में एक दूसरे मामले पर भी विचार किया गया है जो कि अ-व्यस्त या ऑफ पीक अवधि के समय के बारे में है जिस दौरान डायल अप इंटरनेट के लिए रियायती टैरिफों की व्यवस्था है । टीटीओ-1999 के 24वें संशोधन में, डायल अप प्रभारों के लिए हाल के परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, व्यस्त/अ-व्यस्त यानि पीक/ऑफ-पीक समय के बारे में प्राधिकरण ने प्रविरिति अपनाई है, और प्राधिकरण ने अपना यह भी मंतव्य स्पष्ट किया है कि ये टैरिफ प्रत्येक आईएसपी पर डायलअप प्रभारों के लिए गैर विभेदक या भेदभावहीन रूप से लागू किए जाने चाहिए । अभी हाल के टैरिफ आदेश और आई यू सी विनियम, बुनियादी

सेवाओं की संधार्यता और सुसह्य टैरिफों से सुसंगत आई यू सी की व्यवस्था के उद्देश्यों से संबंधित हैं। जो परामर्श पत्र इन टैरिफों और आई यू सी का आधार था उसमें एक दूसरे महत्वपूर्ण उद्देश्य पर चर्चा भी शामिल है। यह उद्देश्य है इंटरनेट तक सस्ती डायल अप एक्सेस उपलब्ध कराना। टी टी ओ 1999 के 24वें संशोधन में इस पर चर्चा नहीं की गई है। इसलिए विशेष रूप से उस पर विचार विमर्श आवश्यक है। प्राधिकरण काफी समय से बुनियादी सेवा प्रचालकों के साथ इस मामले पर चर्चा करता रहा है, और हाल के कुछ हफ्तों में, सेवा प्रदाताओं के साथ प्राधिकरण ने आगे विचार विनिमय किया है और यह बात नोट की है कि निकट भविष्य में इस मामले को निपटाने के लिए विभिन्न तरीकों का परीक्षण किया जा रहा है । इस संदर्भ में, प्राधिकरण ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि 500 किलोमीटर से अधिक (जो कि लंबी दूरी की कॉलों का काफी बडा हिस्सा होता है) के राष्ट्रीय लंबी दूरी के टैरिफों में हाल के परिवर्तनों से पूरे दिन के दौरान इन कॉलों के लिए लगभग एक समान उपयोग की रूप रेखा सामने आएगी । इससे ऑफ-पीक अवधि में इन कॉलों की वजह से नेटवर्क पर दबाव कम पडेगा। इसलिए, डायल अप इंटरनेट एक्सेस के लिए, "आफ पीक" को बढा देना एक ऐसा तरीका है जिससे, बुनियादी सेवाओं के निमित्त टैरिफ परिवर्तनों के मूल में निहित उद्देश्यों की वैधता को बिना नकारे हुए, इंटरनेट पर एक्सेस के ऊपर, टी टी ओ 1999 के चौबीसवें संशोधन की वजह से हाल के टैरिफ परिवर्तनों का प्रभाव सीमित हो सकता है । वर्तमान आफ-पीक अवधि समय की दृष्टि से उपभोक्ताओं को कुछ अधिक राहत नहीं देती क्योंकि अधिकतर उपभोक्ता, इस अवधि में उपलब्ध रियायती दरों का आसानी से फायदा नहीं उठा सकते । इंटरनेट पर डायल अप एक्सेस के लिए, प्रभारों को अधिक से अधिक घटाने की दृष्टि से, प्राधिकरण यद्यपि बुनियादी सेवा प्रदाताओं के साथ संभावनाओं पर विचार विमर्श करता रहेगा, तथापि इंटरनेट उपभोक्ताओं पर, बुनियादी सेवा टैरिफ में बढत के प्रभाव को सीमित करने की दृष्टि से, तात्कालिक उपाय के रूप में, उपभोक्ताओं को उपलब्ध, आफ-पीक रियायती उपयोग की अवधि खासतौर पर बढाने का निर्णय लिया है । इसलिए प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि अपराह्न 10.30 और पूर्वाह्न 6.30 के बीच आजकल जो ऑफ-पीक समय है उसे क्रमशः ढाई घंटा और डेढ घंटा बढा दिया जाए और इस प्रयोजन के लिए ऑफ-पीक अवधि शाम के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक विनिर्दिष्ट की जाए जिस दौरान सेवा प्रदाता, इंटरनेट पर डायल अप एक्सेस के लिए रियायती दरों पर सेवा देंगे। यद्यपि, अभी प्राधिकरण उन रियायतों को विनिर्दिष्ट नहीं कर रहा है जो कि आफ-पीक अवधि में दी जाएंगी और यह मुद्दा

वह अलग अलग प्रचालकों तथा बाजार की शक्तियों के भरोसे छोड रहा है, वह इस व्यवस्था के कामकाज पर पैनी नजर रखेगा और अगर कभी उसे यह लगता है कि इस उपाय का अपेक्षित या वांछित प्रभाव नहीं हो रहा है तो वह हस्तक्षेप करेगा और, जरूरी हुआ तो, रियायतों को विस्तार से विनिर्दिष्ट भी करेगा। नई आई यू सी व्यवस्था तथा टैरिफ आदेश के 24वें संशोधन से बुनियादी सेवा प्रचालकों की अपनी लागतों की वसूली के बारे में चिंताओं का काफी समाधान हो चुका है, इसलिए यह आशा की जा सकती है कि प्रचालक अब, कम से कम ऑफ-पीक अवधि में, खुद अपनी ओर से इंटरनेट पर डायलअप एक्सेस के लिए समुचित रियायती दरें पेश करेंगे ।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2003

No. 306-2/2003-Econ.—In exercise of the powers conferred upon it under Sub-section (2) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 as amended by TRAI (Amendment) Act, 2000, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) hereby makes the following order by an amendment to the Telecommunication Tariff Order, 1999 by notification in the Official Gazette, in respect of tariffs at which Telecommunication Services within India and outside India shall be provided.

THE TELECOMMUNICATION TARIFF (TWENTY FIFTH AMENDMENT) ORDER 2003 (2 of 2003)

Section I
Title, Extent and Commencement

1. Short title, extent and commencement:

    (i) This Order shall be called "The Telecommunication Tariff (Twenty Fifth Amendment) Order 2003".

    (ii) The Order shall come into force from the date of its notification in the Official Gazette.

Section II

2. Amendment to Schedule I

In partial modification of schedule I to The Telecommunication Tariff (Twenty Fourth) Amendment Order, 2003, the following additions

/substitutions/ modifications are made in the said order :-

Schedule I
Basic Services (Other than ISDN)

(The date of implementation for these tariffs shall be April 1, 2003)

Item	Tariff
Note (1) at the end of Item (5)	(1) Rural subscribers are those who reside in a rural SDCA as specified in the new Basic Service Licenses. **Shall be substituted to read as under:-** (1) Rural subscribers are those who reside in rural areas. For the purpose of this schedule, the definition of rural area shall be the same as used in conducting the Census of India.
Note (1) at the end of Item (6)	(1) Urban subscribers are those who reside in Semi-Urban or Urban SDCAs as specified in the new Basic Service Licenses. **Shall be substituted to read as under:-** (1) Urban subscribers are those who reside in urban areas. For the purpose of this schedule, the definition of urban area shall be the same as used in conducting the Census of India.
Note (a) & (b) of the Explanatory Notes	(a) Rural subscribers: Subscribers residing in SDCAs specified as Rural in the new Basic Service License. (b) Urban subscribers: Subscribers residing in SDCAs specified as Semi-Urban and Urban in the new Basic Service License. **Shall be substituted to read as under:-** (a) Rural Subscribers: Subscribers residing in rural areas. For the purpose of this schedule, the definition of rural area shall be same as used in conducting the Census of India. (b) Urban Subscribers:- Subscribers residing in urban areas. For the purpose of this schedule, the definition of urban area shall be same as used in conducting the Census of India.

Item (17) Dial-up Access charges for Internet during off-peak hours	Reduced Dial-up charges for off-peak hours to be provided to ISPs using both access codes 172 XXX through E1/R2 lines and ISDN PRI Access code **Shall be substituted to read as under:-** Reduced Dial-up charges for off-peak hours to be provided to the customers of ISPs using both access codes 172 XXX through E1 / R2 lines and through ISDN PRI Access. The off-peak hours shall be from 8 P.M. TO 8 A.M on all days.

Section III

3. Explanatory Memorandum

This Order contains at Annex A, an explanatory memorandum to provide clarity and transparency to the tariffs specified in this Order.

By Order
Dr. HARSHA VARDHANA SINGH, Secy.-cum-Principal Advisor
[ADVT/III/IV/142/2002/Exty.]

Annex "A"

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Authority notified the Telecommunication Tariff (24th Amendment) Order, 2003 on January 24, 2003 which inter-alia contains Schedule I pertaining to Tariffs for Basic Services. This Schedule amended the definition of rural subscribers to make it consistent with the operational criterion for USO programme and the licence terms. Under the USO programme financial support for rural telephony is provided to rural SDCA's, which number less than 500 in total and form less than one-sixth of the total number of SDCAs.

2. In view of this, the Authority wrote to the Department of Telecommunications ("DOT") and the Universal Service Fund ("USF") Administrator, mentioning the reason for the change and noting that due this change in the definition, rural subscribers residing in SDCAs not specified as rural would get excluded from the low rentals/call charges which would be available to them in terms of the earlier definition. It was therefore felt that there was a need to re - look at the parameters based on which SDCAs are being specified as rural and redesignate SDCAs as rural or otherwise on the basis thereof. The

view was that by doing so it will be possible to ensure extension of special facilities to rural subscribers in line with the USO programme and its funding. However, the Authority also noted in its communication that if it is not possible to review and develop more comprehensive parameters on the basis of which most SDCAs with marked rural subscriber base could qualify as rural SDCAs, adoption of the new definition, although helpful in focussing on the implementation of the USO programme would not be desirable as it could result in exclusion of a fairly large number of SDCAs from the rural category, affecting a sizable portion of the user population.

3. The Authority has received replies from the USF Administrator and the DOT. The former is of the view that the SDCA would be an appropriate concept for the purpose of deciding support from the USF, but the examination of the implications of the definition of rural subscribers does not fall in its purview. In its reply DOT notes that at present subscribers residing in rural areas are classified as per the Census, and are being charged tariffs for basic service as prescribed by TRAI for rural subscribers; the initial Telecommunication Tariff Order ("TTO") 1999 specified rural and urban consumers in terms of the Census definition. It mentions that with the 2001 Census, many of the SDCAs earlier classified as rural would have already migrated to semi urban or urban categories. In DoT's view "as expressed by TRAI, there would not be much point in changing the definition of rural subscribers even if it helps focused implementation of USO programme."

4. The Authority has taken note of the fact that neither the USF Administrator nor the DoT appears to be in a position to review urgently and specify the parameters which will help define rural SDCAs beyond the present classification decided for roll out obligations to be fulfilled by the licensees in terms of their licenses. The scope of the definition of rural subscribers goes beyond this objective. In this background, the Authority is of the view that the definition of rural/urban subscribers should continue to be the same as used earlier in TTO 1999, i.e. it should be based on the Census of India.

5. Another issue that has been addressed by this Order is the timing of the off-peak hours during which concessional tariffs are provided for dial up internet. In the 24th Amendment to TTO, 1999 the Authority decided to forbear with respect to peak/off-peak hours in view of the recent changes made in the dial up charges, and the stipulation of the Authority that such tariffs should be applied in a non-discriminatory manner for dial up to any ISP. The recent Tariff Order and IUC Regulation address the objectives of sustainability of the basic services and the provision of IUC compatible with affordable tariffs. The Consultation Paper which formed the basis for these tariffs and IUC included discussion on another important objective, namely cheaper

dial up access to internet. This objective has not been addressed in the 24th Amendment to the TTO 1999, and needs to be specifically addressed. The TRAI has been discussing this matter for some time with the Basic Service Operators, and in recent weeks, having further consulted the service providers on this issue noted that various methods are being examined to address this matter in the near future. In this context the Authority has also taken note of the fact that the recent changes in the national long distance tariffs for more than 500 kms. (which account for a substantial share of the long distance calls) will lead to a more evenly distributed usage pattern throughout the entire day for these calls. This will imply lower pressure on the network due to these calls during the off-peak period. Fixing longer off peak hours for Dial-up Internet access is, therefore, one of the ways in which the impact of the recent tariff changes in terms of the 24th Amendment to TTO 1999 on access to internet can be contained without negating the validity of the objectives underlying the tariff changes for basic service. The present off peak hours offer little choice to the users in terms of time and are such that a large majority of users can not easily take advantage of the concessionary rate available during the period. Keeping these factors in view, while the Authority will continue to explore with the basic services providers ways to reduce substantially the charges for dial-up access to internet, as an immediate measure to mitigate the impact of rise in basic service tariff on the internet users specifically extend the duration of off-peak concessional usage available to the consumers. The Authority has, therefore, decided to extend the presently offered off peak hours between 10.30 PM and 6.30 AM by two & half hour on one side and one & half hour on the other side and specify that the off-peak period for this purpose will be from 8 p.m. to 8 a.m. during which the service providers will offer concessionary rates for dial up access to the internet. Although at this stage the Authority is not specifying the extent of concession that is to be offered in the off peak hours leaving it flexible depending upon the individual operators and the market forces, it would keep a close watch on the functioning of this arrangement and should it at any time observe that the measure is not having the desire effect it would intervene and, if necessary, specify the extent of concession as well. The concerns of the basic service operators about recovery of their costs having being largely taken care of through the new IUC regime and the 24th Amendment to the Tariff Order, it is reasonable to expect that the operator can now, on their own offer affordable concessionary rates for dial up access to the internet, at least, in the off peak hours.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.